



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा (महाराष्ट्र)

कार्यवृत्त
विद्या-परिषद् की 18 वीं बैठक

09 अगस्त, 2012

सभा-कक्ष
भाषा-विद्यापीठ



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की 18वीं बैठक का कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की 18वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में 09 अगस्त 2012 को दोपहर 01.00 बजे भाषा विद्यापीठ के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए—

- श्री विभूति नारायण राय : अध्यक्ष / कुलपति
- प्रो. अरविदाक्षन : सदस्य / प्रतिकुलपति
- प्रो. अंबा कुलकर्णी : सदस्या
- प्रो. मनोज कुमार : सदस्य
- प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल : सदस्य
- प्रो. लेला कारुण्यकरा : सदस्या
- प्रो. अनिल कुमार राय : सदस्य
- प्रो. कृष्ण कुमार सिंह : सदस्य
- प्रो. संतोष कुमार भदौरिया : सदस्य
- प्रो. रामवीर सिंह : सदस्य
- प्रो. सुरेश शर्मा : सदस्य
- डॉ. मैत्रेयी घोष : सदस्या
- डॉ. सी अन्नपूर्णा : सदस्य
- डॉ. नृपेंद्र प्रसाद गोदी : सदस्य
- डॉ. शंभू गुप्त : सदस्य
- डॉ. कृपाशंकर चौबे : सदस्य
- डॉ. प्रीति सागर : सदस्य
- डॉ. फरहद मलिक : सदस्य
- डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय : सदस्य
- डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी : सदस्य
- डॉ. एच. ए. हुसैनगुंद : सदस्य
- डॉ. अनिल कुमार दुबे : सदस्य
- डॉ. उमेश कुमार सिंह : सदस्य
- डॉ. सुरजीत कुमार सिंह : सदस्य
- श्री धनजी प्रसाद : सदस्य
- सुश्री चित्रलेखा अंशु : सदस्या
- डॉ. कैलाश खामरे : पदेन सचिव / कुलसचिव

बैठक में उपर्युक्त सभी सदस्य उपस्थित हुए। प्रो. विजेन्द्र नारायण सिन्हा, प्रो. शंभूनाथ तथा प्रो. तुलसीराम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के आरंभ में विश्वविद्यालय के वर्तमान कार्यपरिषद् के सदस्य स्व. डॉ. सुभाष पाण्डेय तथा भाषा विद्यापीठ के प्रोफेसर स्व. महेन्द्र सी पाण्डेय को श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। तत्पश्चात पदेन सचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष से बैठक की कार्यवाही आरंभ करने का अनुरोध किया।

कार्यसूची एवं अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत अन्य विषय के अंतर्गत सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से लिए गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:-

01. विद्या-परिषद् की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन :-

विद्या-परिषद् की 17वीं बैठक 28 फरवरी 2012 को भाषा विद्यापीठ के सभा कक्ष में आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की नवीं बैठक के कार्यवृत्त के साथ संलग्न आठवीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 02 (5) के पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया। मद संख्या 02 के शेष बिंदुओं को स्कूल बोर्ड में रखा जाये।

02. विद्या-परिषद् की 17वीं बैठक के निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्यवाही

विद्या-परिषद् की 16वीं बैठक दिनांक 28 अप्रैल 2011 में अनुमोदित प्रकरण के संदर्भ में की गयी कार्यवाही माननीय विद्या-परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मद सं.	विवरण	की गयी कार्यवाही
01	विदेशी विद्यार्थियों से ली जाने वाली शुल्क के संदर्भ में निर्णय : अनुमोदित	अनुपालित
02	शोध निर्देशक के रूप में डॉ. शंभु गुप्त को निर्धारित सीमा से अतिरिक्त एक शोधार्थी श्रीमती रश्मि लालबिहारी, (मॉरीशस) दिये जाने को कार्योत्तर स्वीकृति :- निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।	अनुपालित
03	कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र के परियोजना प्रस्तावों पर विचार हेतु :- निर्णय : बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में शामिल किया जाये।	अनुपालित
04	अंशकालिक पी-एच. डी. आरंभ करने हेतु विचारार्थ निर्णय : इस प्रस्ताव को सभी विद्यापीठों में भेजकर उनकी राय/टिप्पणी ली जाये तथा विद्या परिषद् की अगली बैठक में रखा जाये।	अनुपालित
05	एम. ए. पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया में साक्षात्कार में छूट देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति:- निर्णय : एम. ए. के सभी पाठ्यक्रमों में साक्षात्कार का प्रावधान किया जाये। साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों को निकटतम मार्ग से रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान श्रेणी) का आने-जाने का किराया देने के संबंध में विताधिकारी से टिप्पणी प्राप्त कर कुलपति को प्रस्तुत करेंगे। साक्षात्कार संबंधित विभागों द्वारा आयोजित किया जाये।	अनुपालित
06	मॉरीशस के शोधार्थी श्री तरनदेव जगरनाथ के एम. फिल. डायस्पोरा प्रवेश को कार्योत्तर स्वीकृति देने हेतु निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।	अनुपालित

07	निर्धारित सीट के अतिरिक्त श्री चाउ वेई के पी-एच. डी. प्रवेश को कार्योत्तर स्वीकृति देने हेतु:- निर्णय : कार्योत्तर स्वीकृति दी गयी।	अनुपालित
08	अहिंसा एवं शांति अध्ययन में श्री रविशंकर के पी-एच. डी. पंजीयन मामले पर विचार तथा श्री मिथिलेश कुमार को पी-एच. डी. उपाधि प्रदान किये जाने पर अनुमोदन हेतु:- निर्णय : अ) विद्या परिषद् द्वारा विचार विमर्श कर श्री रविशंकर सिंह को बिना फेलोशिप के पी एच. डी. की अनुमति दी गयी। प्रो. कारुण्यकारा द्वारा इस निर्णय पर असहमति जतायी गयी। किंतु विद्या-परिषद् के शेष सभी सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। ब) श्री मिथिलेश कुमार को पी-एच. डी. उपाधि दिये जाने को अनुमोदित किया गया।	अनुपालित
09	अकादमिक सत्र 2012-2013 के अकादमिक कैलेंडर अनुमोदनार्थ :- निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
10	एम. ए. के छात्रों के लिए हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा में डिप्लोमा अनिवार्य करने पर स्वीकृति हेतु निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
11	पूर्व मौखिकी प्रस्तुति तथा शोध प्रबंध जमा कराने की अवधि के संबंध में अध्यादेश संख्या 45/2009 में संशोधन करने के संबंध में :- निर्णय : विभागाध्यक्ष तथा विषय विशेषज्ञ के दृष्टिकोण में यदि शोध प्रबंध में कोई बड़ा बदलाव (Major Change) नहीं है तो पूर्व मौखिकी प्रस्तुति सम्पन्न होने के तीन माह के भीतर तथा बड़ा बदलाव होने की स्थिति में पूर्व मौखिकी प्रस्तुति सम्पन्न होने के छह माह के भीतर शोध प्रबंध जमा करना होगा।	अनुपालित
12	बी. बी. ए. षष्ठ सत्र की अध्ययन सामग्री पर स्वीकृति :- निर्णय : अध्यक्ष की अनुमति से रखे गये विषय के अंतर्गत इस पर समुचित निर्णय लिया गया।	अनुपालित
13	ISSN नंबर की बजाय शोध एवं शोध-पत्रों की स्तरीयता को महत्व देने के प्रस्ताव पर विचारार्थ :- निर्णय : यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विद्यापीठ ISSN नंबर प्राप्त पत्रिकाओं के अतिरिक्त ऐसी पत्रिकाओं की सूची प्रस्तुत करे जिनमें स्तरीय सामग्री प्रकाशित होती है। विद्या-परिषद् विचारोपरांत ऐसी पत्रिकाओं को भी मान्यता प्रदान करने पर विचार करेगी।	साहित्य एवं संस्कृति विद्यापीठ से प्राप्त सूची अवलोकनार्थ संलग्न
14	सुश्री कविता बिसारिया को पी-एच. डी. उपाधि प्रदान किये जाने की स्वीकृति :- निर्णय : अनुमोदित।	अनुपालित
15	क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद में सत्र 2012-2013 में नियमित पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव विचारार्थ :- निर्णय : सभी प्रस्ताव बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव शामिल किये जा रहे हैं।	अनुपालित
16	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाने वाले विभागों/संकायों/केंद्रों/निदेशालयों आदि के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्राप्ति हेतु प्रस्तुत। निर्णय : इस प्रस्ताव को निम्न सुझावों के साथ अनुमोदित किया गया: 1. डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र को दो केंद्रों में विभाजित किया जाये। अ) डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर दलित केंद्र ब) कां.हू. सिद्धू जनजाति अध्ययन केंद्र	अनुपालित